EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)
Appearing on Page Nos. 810—813

Dated 11-8-2007

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2007

सा.का.नि. 164.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में आर्थिक अन्वेषक, श्रेणी-2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, आर्थिक अन्वेषक, श्रेणी-2 समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती नियम की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** :–इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आर्थिक अन्वेषक श्रेणी-2	2*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :–केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के ऐसे अधिकारी– (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या जिन्होंने 4000-6000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में किसी पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक । **टिप्पण** 1.-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** 2.-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

[सं. ए-12018/(2)/2005-स्था.]

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2007

G.S.R. 164.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Economic Investigator Grade-II in the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Economic Investigator Grade-II, Group 'C' post Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annnexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or,

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of services admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit in case of direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Economic Investigator Grade-II	2* (2007) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotions	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Deputation (including short-term contract).	**Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central Government/State Governments/Autonomous Institutions under Central Government : (a) holding analogous post on regular basis; or with five years' regular service in a post in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent; and (b) possessing the following qualification : Graduation with Economics from a recognised University. **Note 1.**—The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.**—The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

[No. A-12018/(2)/2005-Estt.]
P. S. VERMA, Under Secy.

MGIPRRND—3767 MS & ME/07—100.